20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(37) 39

(17)

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

III/निगरानी/सीहोर/भू-रा/2017/2577

निगरानी क्रमांक /17

द्वारा आज दि. 9/8/17 प्रस्तुत

दिवाकर दीक्षित (PS.) 9/8/17

9-8-17

दिवाकर दीक्षित ए. प्र. 9-8-17

1. गोविन्द पुत्र औकांर, कृषक, कस्बा सीहोर
   निवासी टेनीस क्लब के पास,
   स्टेशन रोड, सीहोर म.प्र.
2. मोरबाई पत्नि स्व. सुरन्दलाल (मृत)
3. गोरधन पुत्र स्व. सुन्दरलाल
4. रामचरण पुत्र स्व. सुन्दरलाल
5. सौरभ पुत्र स्व. सुन्दरलाल
6. कृष्णा बाई पत्नि श्री तुलसीराम पुत्रवधु स्व. सुन्दरलाल
7. संजू पुत्र स्व. श्री तुलसीराम
8. साधना पुत्री स्व. श्री तुलसीराम
   समस्त निवासीगण– बी.एस.आई. फेक्ट्री चौराहा,
   पटेल मार्केट, सीहोर तहसील व जिला सीहोर म.प्र.
9. मनी बाई पुत्री स्व. सुन्दरलाल पत्नि सौरम निवासी पचौर
10. बिल्ला बाई पत्नि रमेश पुत्री स्व. सुन्दरलाल
11. बिल्ला बाई पत्नि रमेश पुत्री स्व. सुन्दरलाल
    निवासी– ग्राम बैरागढ, तहसील हुजूर
    जिला भोपाल म.प्र. -------- निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. प्यारेलाल पुत्र दौलतराम (मृत)
2. छोटेलाल पुत्र दौलतराम (मृत)
   वैध उत्तराधिकारी

2/1 शारदा कुशवाहा पुत्री छोटेलाल

2/2 विजय कुशवाहा पुत्र छोटेलाल

2/3 मनोहर कुशवाहा पुत्र छोटेलाल कुशवाहा

2/4 सुनीता कुशवाहा पुत्री छोटेलाल

2/5 कमला कुशवाहा पत्नि स्व. छोटेलाल

3. मोहनलाल उर्फ धन्नलाल पुत्र दौलतराम

5. राजू पुत्र रामप्रसाद
6. मनोहर पुत्र रामप्रसाद
7. निर्मला पुत्री रामप्रसाद
8. गायत्री पुत्री रामप्रसाद
9. ममला बाई पुत्री रामप्रसाद
10. सुभद्राबाई पत्नि स्व. रामप्रसाद
11. किशनलाल पुत्र कन्हैयालाल
12. हरप्रसाद पुत्र कन्हैयालाल
13. छगनलाल पुत्र कन्हैयालाल
14. देवकरण पुत्र कन्हैयालाल
15. सुशीलाबाई पत्नि हरि पुत्री कन्हैयालाल
16. भागवती बाई पत्नि स्व. छोटेलाल
17. ज्योति पुत्री छोटेलाल

    समस्त निवासीगण– शुगर फेक्ट्री चौराहा, स्टेशन रोड, सीहोर म.प्र.
18. श्रीमती कुसुम पत्नि चैन सिंह
19. अनिल पुत्र चैन सिंह
20. अजय पुत्री चैन सिंह
21. सीमा पुत्री चैन सिंह

    क्रमांक 18 से 21 निवासी नरसिंहगढ, रोड, पुराना नाका मण्डी, सीहोर म.प्र.
22. रमेश पिता शंकरलाल मिश्रा निवासी रानीपुरागंज सीहोर
23. पप्पी पुत्री छोटेलाल पत्नि कमल सिंह, निवासी– लोटियापुल नाका, सीहोर म.प्र
24. सावित्री बाई पत्नि स्व. सत्यनारायण पुत्री कन्हैयालाल निवासी– फ्रीगंज, उज्जैन म.प्र.
25. मजीदउल्ला पुत्र नसरूल्ला निवासी कस्बा सीहोर
26. रईस पुत्र नसरूल्ला निवासी कस्बा सीहोर
27. हफीजउल्ला पुत्र नसरूल्ला (मृत) निवासी कस्बा सीहोर
28. रामगोपाल पुत्र हजारीलाल निवासी ग्राम फुलमोहरा तहसील सीहोर
29. विष्णुप्रसाद पुत्र गयादीन निवासी गंज सीहोर
30. संजू उर्फ संजय पुत्र रामप्रसाद (मृत) ------प्रतिनिगरानीकर्ता

निरंतर......3

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

महोदय

निगरानीकतागर्ण द्वारा विद्वान अपर कलेक्टर महोदय, सीहोर जिला सीहोर म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 104/निगरानी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 24/07/2017 से दुख होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्तागण के पूर्वजो के आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 3 रकबा 0.73 एकड एवं सर्वे क्रमांक 4 कुल रकबा 28.76 एकड कुल रकबा 28.49 एकड भूमि जो कि ग्राम कस्बा, तहसील व जिला सीहोर में स्थित है, उक्त भूमि पर निगरानीकर्तागण के पूर्वजों का वर्ष 1936 के पूर्व से आधिपत्य था। उक्त आधिपत्य के आधार पर माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण के पूर्वजों को उक्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी माना, जिसकी अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जहां से भी निगरानीकर्तागण को उक्त भूमियों का आधिपत्य एवं स्वामित्वधारी माना गया।

2. यह कि उक्त भूमियों के संबंध में जो व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, मजीद खान व अन्य द्वारा उक्त प्रकरण में मजीद खान व अन्य लोगो द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निगरानीकर्तागण के पूर्वजों के अतिरिक्त रमेश पुत्र शंकरलाल, चैन सिंह पुत्र श्री रामलाल एवं विष्णु प्रसाद पुत्र गयादीन को भी प्रतिवादी बना दिया गया था, जबकि उक्त व्यक्तियों का उस भूमि में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हक इत्यादि नहीं था, जिसकेसंबंध में उक्त प्रतिवादी द्वारा भी माननीय न्यायालय के समक्ष

38

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक III/निग./सीहोर/भू.रा./2017/2577

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 02/11/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 104/निग./2008-09 में पारित आदेश दिनांक 24/07/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । आयुक्त सदस्य 6/2/19	

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/सीहोर/भू.रा/2017/2577

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/8/19	आवेदक अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री योगेन्द्रसिंह भदौरिया उपस्थित । उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण में अंतिम पारित आदेश दिनांक 6-2-2019 में टंकण त्रुटि के कारण प्रकरण आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के स्थान पर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में पहुँच गया था । यह प्रकरण सीहोर जिले का होने से आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को अन्तरित किया जाना था, परन्तु लिपिकीय त्रुटिवश प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा को अन्तरित किये जाने के आदेश दिये गये । उक्त त्रुटि टंकण की त्रुटि है इसे सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है । 2/ प्रकरण का अवलोकन किया गया । उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि अभिलेख से होती है । अतः न्यायहित में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-2-2019 की नोवीं एवं दसवीं लाईन में आयुक्त रीवा संभाग रीवा के स्थान पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल पढ़ा जावे । यह आदेश मूल आदेश का अँग रहेगा। अध्यक्ष 21/8/19 रीडर	